निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 195 / 2017 **दिनांक : 30.09.2020**

अनवान

1. भंवरलाल पिता केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
2. बाली बाई पुत्री केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
3. पुष्पा पुत्री केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
4. बदामी पत्नि केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर

..... वादीगण

।। **बनाम** ।।

जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल पुरोहित मृतक के बजायः–

1. कमलेश पिता जगदीशचन्द्र वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील माण्डलगढ
2. प्रकाश पिता जगदीशचन्द्र वयस्क निवासी चावण्डिया तहसील माण्डलगढ
3. नन्दलाल पिता चम्पालाल कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... प्रतिवादीगण

दावा ~~बंटवारा~~ आराजी , घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, रा0का0अधि0
उपस्थित –श्री मोहम्मद रईस वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **88, 89, 188,** के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम कंथारिया पटवार मण्डल कंथारिया में स्थित होकर संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी के खाता संख्या 115 पर दर्ज आराजी नमबर 907 रकबा 0.97 हैक्टेयर किस्म चाही ए होकर दर्ज है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात सेटलमेन्ट पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जगदीशचन्द्र के खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज थी जो जगदीशचन्द्र द्वारा रतनी बाई पत्नि स्वं. 'शोभालाल ब्राहम्ण से जरिये पंजीकृत विकय पत्र के कय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन जरिये नामान्तरण संख्या 765 दिनांक 20.05.2011 को करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता जगदीशचन्द्र के नाम साबिक आराजी नम्बर 483 एवं 486/2, 487 एवं 488 कुल किता–4 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी ।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता जगदीशच चन्द्र को अपनी निजी आवश्यकता होने से साबिक आराजी नमबर 487 एवं 488 कुल 3 बीघा में से 2 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12.2.2013 से कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया उसका राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 862 से अंकन किया गया तथा भंवरलाल व अन्य वादीगण के पिता स्वर्गीय केसुराम पिता नोला कच्छावा द्वारा भी आराजी नमबर 483 एवं 486/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा सम्पूर्ण तथा चाह नम्बर 485 रकबा 7 बिस्वा में से 1/8 वां हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 16.11.2011 को कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन नामान्तरण संख्या 782 दिनांक 20.11.2011 को किया गया तथा साबिक आराजीयात किता–04 में से 'शेष आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता जगदीश द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 नन्दलाल पिता चम्पालाल कच्छावा को विकय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जगदीशचन्द्र का आराजीयात में किसी प्रकार कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है ।

4. यह कि भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा भू प्रबन्धन की कार्यवाही के दौरान साबिक से नवीन आराजीयात एवं क्षेत्रफल बीघा बिस्वा के बजाय हैक्टेयर में रूपान्तरित किया गया जिससे नवीन आराजी नमबर 907 रकबा 0.97 हैक्टेयर दर्ज किया गया लेकिन भू प्रबन्ध कम्रचारियों द्वारा मुझ वादी संख्या 01 द्वारा कय किये गये हिस्से का नवीन क्षेत्रफल 0.51 हैक्टेयर होता है जिसे भू प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा 0.30 हैक्टेयर ही

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

दर्ज किया जबकि मैं वादी भंवरलाल मौके पर अपने कय 'शुदा रकबा 0.51 हैक्टेयर पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं तथा मुझ वादी के पिता केसुराम द्वारा कय किये गये हिस्से का नवीन क्षेत्रफल 0.23 हैक्टेयर बनता है जो सभी वादीगण अपने नाम पर घोषित कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता जगदीश का नाम भू प्रबन्ध कम्रचारियों द्वारा बिना किसी आधार के ुनः दज्र कर दिया जिसे विलोपित कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश है ।

5. यह कि भू प्रबन्ध कम्रचारियों द्वारा नवीन आराजी नमबर 907 रकबा 0.97 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 2 के पिता का नाम बिना किसी युक्तियुक्त आधार के पुनः दर्ज कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा भू प्रबन्धन से पूर्व ही जरिये पंजीकृत पत्र के अलग अलग विकय कर मौके पर कब्जा सिपुर्द कर दिया फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया है जो विलोपित किया जाना न्याय संगत है ।
6. यह कि सम्पूर्ण विवादित आराजीयात पर वर्तमान में मौके पर कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 का होकर 'शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहें लेकिन राजस्व कर्मचारियों त्रृटि से प्रतिवादी संख्या 1 व2 के पिता का नाम पुनः दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व2 के पिता का नाम गलत इन्द्राज का नाजायज लाभ उठाने की नियत से आराजीयात को खुर्द बुर्द करने तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे काश्त में दखल करने का प्रयास करते रहते हे जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी 'निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे िकवे आराजीयात को रहन बय बख्शीस नहीं करें न ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार दखअन्दाजी ही करें न अन्य से करावें । ।
7. यह कि बिनाय मुखास्मत वादकारण दिनांक 05.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजीयात अपने नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाना चाहकर आराजीयात को अपने नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाना चाहकर आराजीयात को विकय करने हेतु भू.माफियाओं को कृषि भूमि बताने तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर दखलअन्दाजी करने का असफल प्रयास करने पैदा होकर निरन्तर जारी है । अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये । विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार भदेसर की ओर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके के आधार पर वादोत्तर प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि वाद पत्र के कलम से 1, 2, 3, 5 से 11 का जवाब अपेक्षित नहीं है । राजस्व रेकार्ड एवं मौके की जांच पटवारी हल्का कंथारिया एवं भू0अ0नि0 बानसेन की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर वस्तुस्थित इस प्रकार है कि रोटेशन ग्राम कंाीरिया जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खसरा नम्बर 115 पर आ0न0 907 रकबा 0.97 हैक्टेयर लगानी 34.92 में खातेदार भंवरलाल पिता केसुराम 30/97 नन्दलाल पिता चम्पालाल 22/97 कच्दावा सा0 सागवाडिया जगदीश पिता मांगीलाल पुरोहित 45/27 सा0 चावडिया दर्ज किया गया । उपरोक्त आराजीयात का समस्त हिस्सा खातेदार जगदीश पिता मांगीलाल पुरोहित द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान होकर कोई हिस्सा 'शेष नहीं रहता है इस प्रकार चालू जमाबन्दी ग्राम कंथारिया संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 115 पर दर्ज आराजी नमबर 907 रकबा 0.97 हैक्टेयर में हिस्सा वादीगण भंवरलाल पिता केसुराम 51/97 मृतक केसुराम पिता नोला 24/97 नन्दलाल पिता चम्पालाल 22/97 कच्छावा सा0. सागवाडिया के नाम दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है प्रतिवादी 1 व 2 के पिता जगदीशचन्द्र की मृत्यु होकर इनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कमलेश प्रकाश पिता जगदीशचन्द्र का नाम उपरोक्त आराजीयात में विलोपित किया जाना उचित है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रतिवादी संख्या 1 , 2, 3 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई । प्रतिवादी संख्या 4 प्रफोर्मा पक्षकार होकर प्रस्तुत जवाबदावा केवल मात्र मौका जांच रिपोर्ट है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, मिलान क्षेत्रफल , नकल जमाबन्दी मौजा कंथारिया खाता संख्या 115 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 197 संवत् 2066–2069, पंजीकृत दस्तावेज दिन26.11. 2011, नामान्तरकरण संख्या 856 दिनांक 30.1.13, , 857 दिनांक 30.1.13, 765 दिनांक 14.5.2014, 782 दिनांक 20.12.2011 , 862 दिनांक 5.3.13, 863 दिनांक 5. 3.13 एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख ,दस्तावेजों एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाने वाद के तथ्यों की पुष्ठि होती है कि मौजा कंथारिया की साबिक आराजी नम्बर 483 / 486 / 2, 487 एवं 488 के मूल खातेदार जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल पुरोहित द्वारा विभिन्न पंजिकृत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त आराजीयात में में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा विक्रय कर दिया गया था जिसका राजस्व रेकार्ड में अमलरामद ना0क0 संख्या 782 दिनांक 20.12.2011 एवं एवं ना0क0 संख्या 863 दिनांक 5.3.2013 से केतागण के नाम दर्ज हुई किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान पुनः मूल खातेदार जगदीशचन्द्र पुरोहित का नाम गलत रूप अथवा संहवन से दर्ज हुआ है तत्पश्चात् जगदीशचन्द्र की विरासत उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 व 2 नाम दर्ज होकर उक्त आराजीयात के नवीन नम्बर 907 कायम कर दिये जाने से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान् स्थिति उत्पन्न हो चुकी है । जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई हक हिस्सा नहीं था । तहसीलदार भदेसर द्वारा नवीन आराजीयात में वादीगण एवं दिगर प्रतिवादी के वारीसान का बनने वाले हक हिस्से अनुसार वादीगण अपना नाम राजस्व रेकार्ड में पुनः अंकित कराये जाने की अधिकारी पाये जाते है अतः वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 15:38:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि मौजा कथांरिया की साबिक आराजी नम्बर 483 एवं 486/2, 487 एवं 488 कुल किता–4 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 907 रकबा 0.97 हैक्टैयर की वर्तमान जमाबन्दी की प्रविष्ठि में अंकित खातेदारान में विक्रेता जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल 45/97 वा पुरोहित का नाम जो कि भू प्रबन्ध की त्रृटि से पुनः दर्ज हुआ है को विलोपित किया जाता है तथा वादीगण भंवरलाल पिता केशुराम का 51/97 वां हिस्सा, मृतक केशुराम पिता नोला का 24/97 वां हिस्सा के बजाय वादीगण भंवरलाल , बाली बाई , पुष्पा पिता केशुराम , बदामी पतिन केशुराम को 24/97 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 नन्दलाल पिता चम्पा का 22/97 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से राजस्व दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने तक उक्त भूमि को रहन बय बख्शीस अथवा अन्य तरीक से अन्तरित व खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन कराने की चेष्ठा नहीं करें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

1. भंवरलाल पिता केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
2. बाली बाई पुत्री केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
3. पुष्पा पुत्री केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
4. बदामी पत्नि केसुराम कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर

.... वादीगण

|| बनाम ||

जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल पुरोहित मृतक के बजाय:–

1. कमलेश पिता जगदीशचन्द्र वयस्क निवासी लावण्डिया तहसील माण्डलगढ
2. प्रकाश पिता जगदीशचन्द्र वयस्क निवासी लावण्डिया तहसील माण्डलगढ
3. नन्दलाल पिता चम्पालाल कच्छावा वयस्क निवासी सागवाडिया तहसील भदेसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... प्रतिवादीगण

दावा ~~बंटवारा~~ आराजी , घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, रा0का0अधि0
प्रकरण सं0 195/2017

वादीगण की और से वकील श्री मोहम्मद रईस एवं प्रतिवादीगण की ओर से –कोई नहीं की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 30.09.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद आदेशन डिक्री किया जाता है कि मौजा कथांरिया की साबिक आराजी नम्बर 483 एवं 486/2, 487 एवं 488 कुल किता–4 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 907 रकबा 0.97 हैक्टैयर की वर्तमान जमाबन्दी की प्रविष्ठि में अंकित खातेदारान में विक्रेता जगदीशचन्द्र पिता मांगीलाल 45/97 वा पुरोहित का नाम जो कि भू प्रबन्ध की त्रृटि से पुनः दर्ज हुआ हैं को विलोपित किया जाता है तथा वादीगण भंवरलाल पिता केशुराम का 51/97 वां हिस्सा, मृतक केशुराम पिता नोला का 24/97 वां हिस्सा के बजाय वादीगण भंवरलाल , बाली बाई , पुष्पा पिता केशुराम , बदामी पत्नि केशुराम को 24/97 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 नन्दलाल पिता चम्पा का 22/97 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से राजस्व दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने तक उक्त भूमि को रहन बय बख्शीस अथवा अन्य तरीक से अन्तरित व खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन कराने की चेष्टा नहीं करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 30--09–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) भदेसर, जिला चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by TapScanner